राजस्थान–सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज0)

Email ID:- legal.udr@gmail.com

अतिआवश्यक

क्रमांकःएफ.16 / 5बी / विधि / (03) / एन.जी.टी / 2023 / 351 दिनांकः 21 / 03 / 2023

निमितः
क्षैत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
उदयपुर

विषयः– माननीय **National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi,** Original Application no. **870/2022**, श्री महादेव सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के पत्रांक 5बी / विधि / (03) / NGT / 2023 / 72 एवं 109 दिनांक 23.01.23 एवं 06.02.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में माननीय **National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi** द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2023 की पालना में गठित संयुक्त कमेटी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
प्रभारी अधिकारी (विधि)
जिला कलक्टर कार्यालय
उदयपुर

क्रमांकःएफ.16 / 5बी / विधि / (03) / एन.जी.टी / 2023 / 351 दिनांकः 21 / 03 / 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. माननीय न्यायालय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi
2. उपवन संरक्षक (उत्तर), उदयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।

–Sd–
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
प्रभारी अधिकारी (विधि)
जिला कलक्टर कार्यालय
उदयपुर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज0)

Email ID:- legal.udr@gmail.com

अतिआवश्यक

क्रमांकःएफ.16 / 5बी / विधि / (03) / एन.जी.टी / 2023 / 305 दिनांक: 08/03/2023

मौका रिपोर्ट

विषयः– माननीय न्यायालय **National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi,** Original Application no. **870/2022**, श्री महादेव सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा मौका जांच कर दिये गये निर्देशो अनुरूप रिपोर्ट।

ग्राम पंचायत कैलाशपुरी और सरे में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध में माननीय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, Original Application no 870/2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 07.02.2023 को जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के निर्देशन में माननीय न्यायालय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा चाही गई जांच में दिये बिन्दुओ का मौका देखा गया एवं जांच रिपोर्ट तैयार की गई जो निम्नानुसार हैं :
–

1. यह कि माननीय न्यायालय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा बिन्दु संख्या एक में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम कैलाशपुरी में आराजी नम्बर 813/187 जो हाल राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज हैं के लगभग 2500 वर्गफीट भाग पर भील समाज का सामुदायिक भवन बना हैं जो सन् 2020–2021 में विधायक मद से बना हैं तथा सामुदायिक उपयोग में आ रहा है ।

2. यह कि माननीय न्यायालय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा बिन्दु संख्या दो में मूणवास स्कूल के सामने तालाब की भूमि में भराव भरने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 419 जो हाल राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सडक दर्ज है के लगभग 250 वर्गमीटर भाग जो मौके पर गढ्ढेनुमा होकर बरसाती पानी बहता था जिसे श्री भगवतसिंह, ललितसिंह पिता सज्जनसिंह, भोपालसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी मूणवास द्वारा भराव भरकर समतल कर दिया । साथ ही इनके द्वारा अपनी सह खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 293, 294 के भी लगभग 750 वर्गमीटर भाग जो मौके पर सडक से कुछ नीचे स्थित था एवं इसमें से भी बरसाती पानी प्रवाहित होता था पर भराव भरकर बरसाती पानी के प्रवाह को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है । जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 01/2023 दिनांक 07.02.2023 दर्ज कर प्रस्तुत कर दिया गया हैं इसमें नियमानुसार प्रार्थी को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । इसी तरह बिन्दु संख्या दो में ही तालाब की भूमि में भराव भरने के सम्बन्ध में जांच कमेटी द्वारा जॉच की तो पाया कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी ने भी ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 01 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म धा.पे.गै.मु. होकर मौके पर तालाब है के लगभग 10300 वर्गफीट भाग पर अमृत सरोवर नामक सरकारी योजना में भराव व दीवार बना समतल कर दिया गया हैं। जिनके फोटोग्राफ संलग्न हैं ।

3. यह कि माननीय न्यायालय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा बिन्दु संख्या तीन में वेलेन्सिया रिसोर्ट द्वारा पानी के प्राकृतिक बहाव में निर्माण कर पानी को तालाब में जाने से रोकने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया । उक्त प्रकरण की भूमि दो जिलो उदयपुर व राजसमन्द की सीमा पर स्थित होने

उपवन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
(राज.)

से दोनो जिलो की संयुक्त राजस्व टीम गठित कर सर्वेकर रिपोर्ट ली जानी हैं । जिस हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा कमेटी भी गठित की गई परन्तु वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन होने से उक्त कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकी ।

4. बिन्दु संख्या तीन में ही मूणवास ग्राम में संरपच द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध डेयरी का निमार्ण कराने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi द्वारा चाही गई जांच में भी कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 1450 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म पहाड दर्ज है, जिस पर श्री सुरेश पटेल पिता श्यामलाल पटेल निवासी मांगथला हाल कैलाशपुरी द्वारा अतिक्रमण कर लगभग 250 वर्गफीट भूमि पर टीन शेड व केबिन का निर्माण कर बजरंग दूध डेयरी व जनरल स्टोर चला रहे हैं जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 38/2022 दिनांक 23.12.2022 दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई गई व दिनांक 13.02.2023 को बेदखली के आदेश पारित किये गए ।

पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव रिपोर्ट, तहसीलदार बड़गाँव रिपोर्ट, पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट की प्रति, नक्शा ट्रेस, साईट फोटोग्राफ, जमाबंदी की प्रति, गूगलमेप, निरीक्षण के फोटोग्राफ्स पत्र के साथ संलग्न है ।

उपवन संरक्षक,उत्तर उदयपुर। उपवन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)	क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर। क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उदयपुर (राज.)	जिला कलक्टर उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बडगांव जिला उदयपुर (राज0)

क्रमांकः राजस्व / 2023 / 459 दिनांकः 14.02.2023

प्रेषितिः–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
उदयपुर (राज0)

विषयः–माननीय National Green Tribunal , Principal Banch , New Delhi , Original Application no 870 / 2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा मौका जांच कर दिये गये निर्देशो अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।

2633
विधि

प्रसंगः–श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के पत्र क्रमांकः एफ 16 / 5 बी / विधि / (03) / एन.जी.टी. / 2023 / 109 दिनांक 06.02.2023 के सन्दर्भमें ।

311
17/02/2023

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी और सरे में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध में माननीय National Green Tribunal, Principal Banch, New Delhi, Original Application no 870 / 2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 07.02.2023 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के निर्देशन में माननीय National Green Tribunal द्वारा चाही गई जांच में दिये बिन्दुओ का मौका देखा गया एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार बडगॉव द्वारा तैयार की गई जो निम्नानुसार हैं : –

1. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या एक में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम कैलाशपुरी में आराजी नम्बर 813 / 187 जो हाल राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज हैं के लगभग 2500 वर्गफीट भाग पर भील समाज का सामुदायिक भवन बना हैं जो सन् 2020–2021 में विधायक मद से बना हैं तथा सामुदायिक उपयोग में आ रहा है ।
2. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या दो में मूणवास स्कूल के सामने तालाब की भूमि में भराव भरने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 419 जो हाल राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सडक दर्ज है के लगभग 250 वर्गमीटर भाग जो मौके पर गढढेनुमा होकर बरसाती पानी बहता था जिसे श्री भगवतसिंह , ललितसिंह पिता सज्जनसिंह, भोपालसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी मूणवास द्वारा भराव भरकर समतल कर दिया । साथ ही इनके द्वारा अपनी सह खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 293 , 294 के भी लगभग 750 वर्गमीटर भाग जो मौके पर सडक से कुछ निचे स्थित था एवं इसमें से भी बरसाती पानी प्रवाहित होता था पर भराव भरकर बरसाती पानी के प्रवाह को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है । जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 1/23 दिनांक 7/2/23 दर्ज कर प्रस्तुत कर दिया गया हैं इसमें नियमानुसार प्रार्थी को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । इसी तरह बिन्दु संख्या दो में ही तालाब की भूमि में

भराव भरने के सम्बन्ध में जांच कमेटी द्वारा जॉच की तो पाया कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी ने भी ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 01 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म धा.पे.गै.मु. होकर मौके पर तालाब है के लगभग 10300 वर्गफीट भाग पर अमृत सरोवर नामक सरकारी योजना में भराव व दीवार बना समतल कर दिया गया हैं। जिनके फोटोग्राफ संलग्न हैं ।

3. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या तीन में वेलेन्सिया रिसार्ट द्वारा पानी के प्राकृतिक बहाव में निर्माण कर पानी को तालाब में जाने से रोकने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया । उक्त प्रकरण की भूमि दो जिलो उदयपुर व राजसमन्द की सीमा पर स्थित होने से दोनो जिलो की संयुक्त राजस्व टीम गठित कर सर्वेकर रिपोर्ट ली जानी हैं । जिस हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा कमेटी भी गठित की गई परन्तु वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन होने से उक्त कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकी ।
4. बिन्दु संख्या तीन में ही मूणवास ग्राम में संरपच द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध डेयरी का निमार्ण कराने के सम्बन्ध में Tribunal द्वारा चाही गई जांच में भी कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 1450 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म पहाड दर्ज हैं, जिस पर श्री सुरेश पटेल पिता श्यामलाल पटेल निवासी मांगथला हाल कैलाशपुरी द्वारा अतिक्रमण कर लगभग 250 वर्गफीट भूमि पर टीन शेड व केबिन का निर्माण कर बजरंग दूध डेयरी व जनरल स्टोर चला रहे हैं जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 38/22 दिनांक 23/12/22 दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई गई व दिनांक 13.02.2023 को बेदखली के आदेश पारित किये गए ।

पत्र के साथ तहसीलदार बडगॉव रिपोर्ट , पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट की प्रति, नक्शा ट्रेस, साईट फोटोग्राफ, जमाबंदी की प्रति, गूगलमेप, निरीक्षण के फोटोग्राफस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान् के समक्ष सादर प्रेषित है ।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
बड़गांव जिला उदयपुर

कार्यालय तहसीलदार बडगांव जिला उदयपुर (राज0)

क्रमांकः राजस्व / 2023 / 108 दिनांकः 13.02.2023

प्रेषितिः–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बडगांव, उदयपुर।

विषयः–माननीय National Green Tribunal , Principal Banch , New Delhi , Original Application no 870 / 2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा मौका जांच कर दिये गये निर्देशो अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः–श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के पत्र क्रमांकः एफ 16 / 5 बी / विधि / (03) / एन.जी.टी. / 2023 / 109 दिनांक 06.02.2023 के सन्दर्भमें ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी और सरे में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध में माननीय National Green Tribunal, Principal Banch, New Delhi, Original Application no 870 / 2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 07.02.2023 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के निर्देशन में माननीय National Green Tribunal द्वारा चाही गई जांच में दिये बिन्दुओ का मौका देखा गया एवं जांच रिपोर्ट तैयार की गई जो निम्नानुसार हैं : –

1. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या एक में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम कैलाशपुरी में आराजी नम्बर 813 / 187 जो हाल राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज हैं के लगभग 2500 वर्गफीट भाग पर भील समाज का सामुदायिक भवन बना हैं जो सन् 2020–2021 में विधायक मद से बना हैं तथा सामुदायिक उपयोग में आ रहा है ।
2. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या दो में मूणवास स्कूल के सामने तालाब की भूमि में भराव भरने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 419 जो हाल राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सडक दर्ज है के लगभग 250 वर्गमीटर भाग जो मौके पर गढ्ढेनुमा होकर बरसाती पानी बहता था जिसे श्री भगवतसिंह , ललितसिंह पिता सज्जनसिंह, भोपालसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी मूणवास द्वारा भराव भरकर समतल कर दिया । साथ ही इनके द्वारा अपनी सह खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 293 , 294 के भी लगभग 750 वर्गमीटर भाग जो मौके पर सडक से कुछ निचे स्थित था एवं इसमें से भी बरसाती पानी प्रवाहित होता था पर भराव भरकर बरसाती पानी के प्रवाह को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है । जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 1/23 दिनांक 7/2/23 दर्ज कर प्रस्तुत कर दिया गया हैं इसमें नियमानुसार प्रार्थी को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । इसी तरह बिन्दु संख्या दो में ही तालाब की भूमि में

भराव भरने के सम्बन्ध में जांच कमेटी द्वारा जॉच की तो पाया कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी ने भी ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 01 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म धा.पे.गै.मु. होकर मौके पर तालाब है के लगभग 10300 वर्गफीट भाग पर अमृत सरोवर नामक सरकारी योजना में भराव व दीवार बना समतल कर दिया गया हैं। जिनके फोटोग्राफ संलग्न हैं ।

3. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या तीन में वेलेन्सिया रिसार्ट द्वारा पानी के प्राकृतिक बहाव में निर्माण कर पानी को तालाब में जाने से रोकने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया । उक्त प्रकरण की भूमि दो जिलो उदयपुर व राजसमन्द की सीमा पर स्थित होने से दोनो जिलो की संयुक्त राजस्व टीम गठित कर सर्वेकर रिपोर्ट ली जानी हैं । जिस हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा कमेटी भी गठित की गई परन्तु वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन होने से उक्त कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकी ।
4. बिन्दु संख्या तीन में ही मूणवास ग्राम में संरपच द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध डेयरी का निमार्ण कराने के सम्बन्ध में Tribunal द्वारा चाही गई जांच में भी कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 1450 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म पहाड दर्ज हैं, जिस पर श्री सुरेश पटेल पिता श्यामलाल पटेल निवासी मांगथला हाल कैलाशपुरी द्वारा अतिक्रमण कर लगभग 250 वर्गफीट भूमि पर टीन शेड व केबिन का निर्माण कर बजरंग दूध डेयरी व जनरल स्टोर चला रहे हैं जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 38/22 दिनांक 23/12/22 दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई गई व दिनांक 13.02.2023 को बेदखली के आदेश पारित किये गए ।

पत्र के साथ पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट की प्रति, नक्शा ट्रेस, साईट फोटोग्राफ, जमाबंदी की प्रति, गूगलमेप, निरीक्षण के फोटोग्राफस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान् के समक्ष सादर प्रेषित है ।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

तहसीलदार बडगांव
जिला उदयपुर

सेवा में ,

श्रीमान् तहसीलदार साहब
बडगांव, उदयपुर।

विषयः—माननीय National Green Tribunal , Principal Banch , New Delhi , Original Application no 870/2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा मौका जांच कर दिये गये निर्देशो अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः—श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के पत्र कमांकः एफ 16 / 5 बी / विधि/(03)/एन.जी.टी./2023/109 दिनांक 06.02.2023 के सन्दर्भमें ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी और सरे में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध में माननीय National Green Tribunal, Principal Banch, New Delhi, Original Application no 870/2022, श्री महादेव सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसरण में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 07.02.2023 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के निर्देशन में माननीय National Green Tribunal द्वारा चाही गई जांच में दिये बिन्दुओ का मौका देखा गया एवं जांच रिपोर्ट तैयार की गई जो निम्नानुसार हैं : —

1. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या एक में चारागाह भूमि पर अतिकमण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम कैलाशपुरी में आराजी नम्बर 813/187 जो हाल राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज हैं के लगभग 2500 वर्गफीट भाग पर भील समाज का सामुदायिक भवन बना हैं जो सन् 2020—2021 में विधायक मद से बना हैं तथा सामुदायिक उपयोग में आ रहा है ।
2. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या दो में मूणवास स्कूल के सामने तालाब की भूमि में भराव भरने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 419 जो हाल राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सडक दर्ज है के लगभग 250 वर्गमीटर भाग जो मौके पर गढढेनुमा होकर बरसाती पानी बहता था जिसे श्री भगवतसिंह , ललितसिंह पिता सज्जनसिंह, भोपालसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी मूणवास द्वारा भराव भरकर समतल कर दिया । साथ ही इनके द्वारा अपनी सह खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 293 , 294 के भी लगभग 750 वर्गमीटर भाग जो मौके पर सडक से कुछ निचे स्थित था एवं इसमें से भी बरसाती पानी प्रवाहित होता था पर भराव भरकर बरसाती पानी के प्रवाह को अवरूद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है । जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 1/23 दिनांक 7/2/23 दर्ज कर प्रस्तुत कर दिया गया हैं इसमें नियमानुसार प्रार्थी को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । इसी तरह बिन्दु संख्या दो में ही तालाब की भूमि में

भराव भरने के सम्बन्ध में जांच कमेटी द्वारा जॉच की तो पाया कि ग्राम पंचायत कैलाशपुरी ने भी ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 01 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म धा.पे.गै.मु. होकर मौके पर तालाब है के लगभग 10300 वर्गफीट भाग पर अमृत सरोवर नामक सरकारी योजना में भराव व दीवार बना समतल कर दिया गया हैं। जिनके फोटोग्राफ संलग्न हैं ।

3. यह कि माननीय National Green Tribunal द्वारा बिन्दु संख्या तीन में वेलेन्सिया रिसार्ट द्वारा पानी के प्राकृतिक बहाव में निर्माण कर पानी को तालाब में जाने से रोकने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट चाही गई जिसका कमेटी द्वारा मौका देखा गया । उक्त प्रकरण की भूमि दो जिलो उदयपुर व राजसमन्द की सीमा पर स्थित होने से दोनो जिलो की संयुक्त राजस्व टीम गठित कर सर्वेकर रिपोर्ट ली जानी हैं । जिस हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा कमेटी भी गठित की गई परन्तु वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन होने से उक्त कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकी ।

4. बिन्दु संख्या तीन में ही मूणवास ग्राम में संरपच द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध डेयरी का निमार्ण कराने के सम्बन्ध में Tribunal द्वारा चाही गई जांच में भी कमेटी द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि राजस्व ग्राम मूणवास के आराजी नम्बर 1450 जो राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म पहाड दर्ज हैं, जिस पर श्री सुरेश पटेल पिता श्यामलाल पटेल निवासी मांगथला हाल कैलाशपुरी द्वारा अतिक्रमण कर लगभग 250 वर्गफीट भूमि पर टीन शेड व केबिन का निर्माण कर बजरंग दूध डेयरी व जनरल स्टोर चला रहे हैं जिसके विरूद्व धारा 91 का प्रकरण संख्या 38/22 दिनांक 23/12/22 दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

अतः सम्पूर्ण रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड श्रीमान् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

पटवारी कैलाशपुरी
08/2/23

उप तहसीलदार
08/2/23

चिन्ह संख्या 1

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/02/2023 08:27:09 AM

जिला : उदयपुर

तहसील : बडगाँव

भू. अ. नि. क्षेत्र : सापेटिया

पटवारी हल्का : कैलाशपुरी

ग्राम : कैलाशपुरी

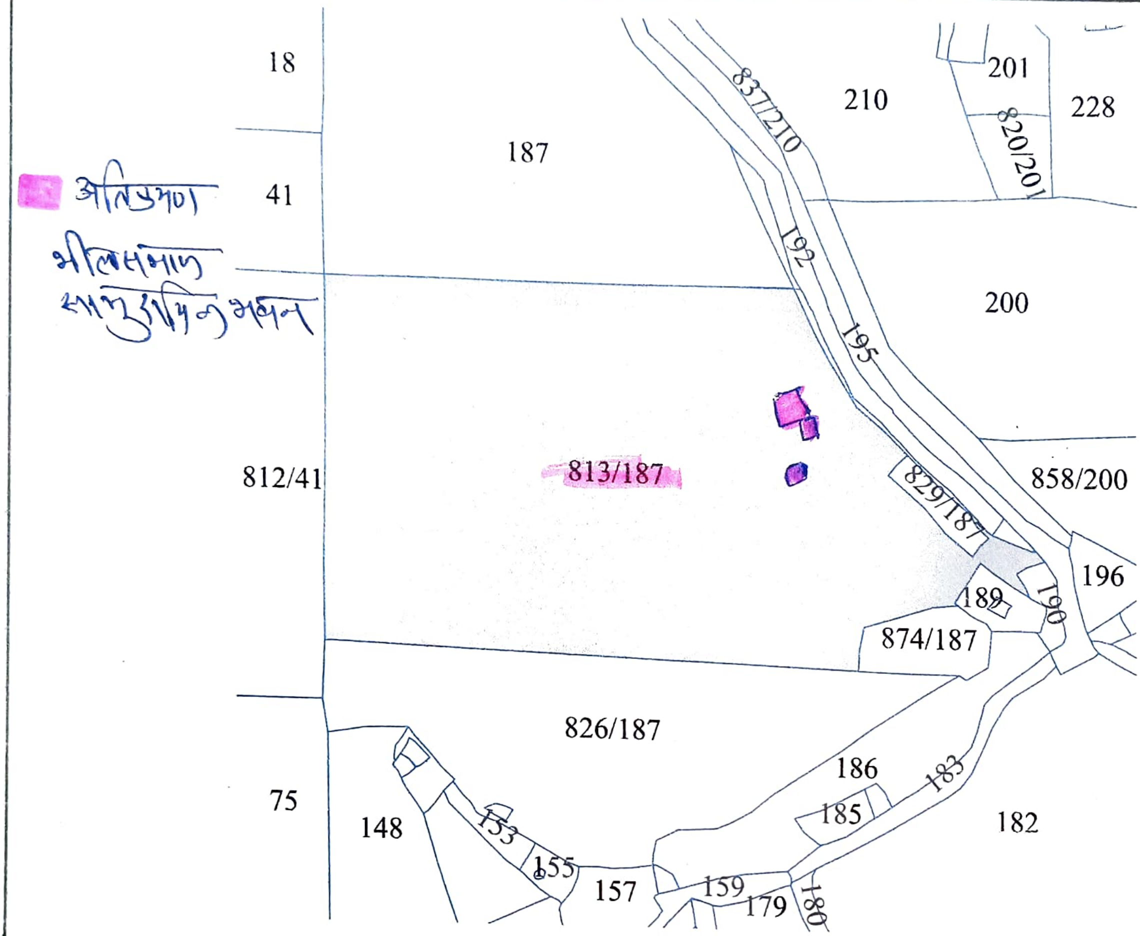

Scale 1:5000

खसरा संख्या :813/187 क्षेत्रफल : 10.9600 Hectare खाता संख्या : 159पुराना खाता संख्या :140

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: पहाड [10.9600]

1.) चरागाह अन्य सामान्य कार्य हेतु हिस्सा- पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु

8/2/23

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवारी हल्का-कैलाशपुरी तहसील-बड़गाँव, जिला-उदयपुर

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

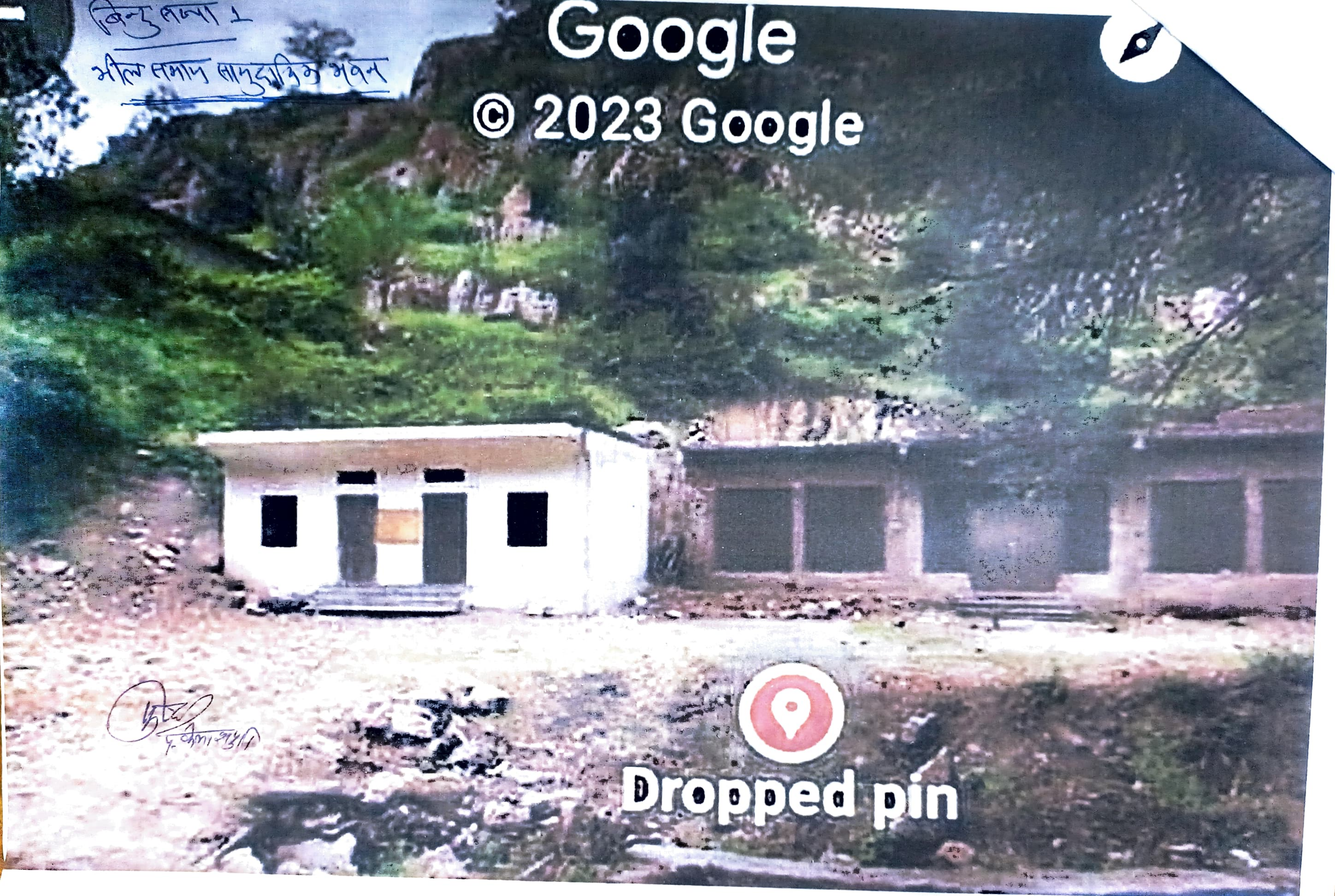
Google
© 2023 Google
Dropped pin

राजस्थान सरकार

बिन्दु संख्या 2

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/02/2023 08:30:35 AM

जिला : उदयपुर

तहसील : बडगाँव

भू. अ. नि. क्षेत्र : सापेटिया

पटवारी हल्का : कैलाशपुरी

ग्राम : मूणवास

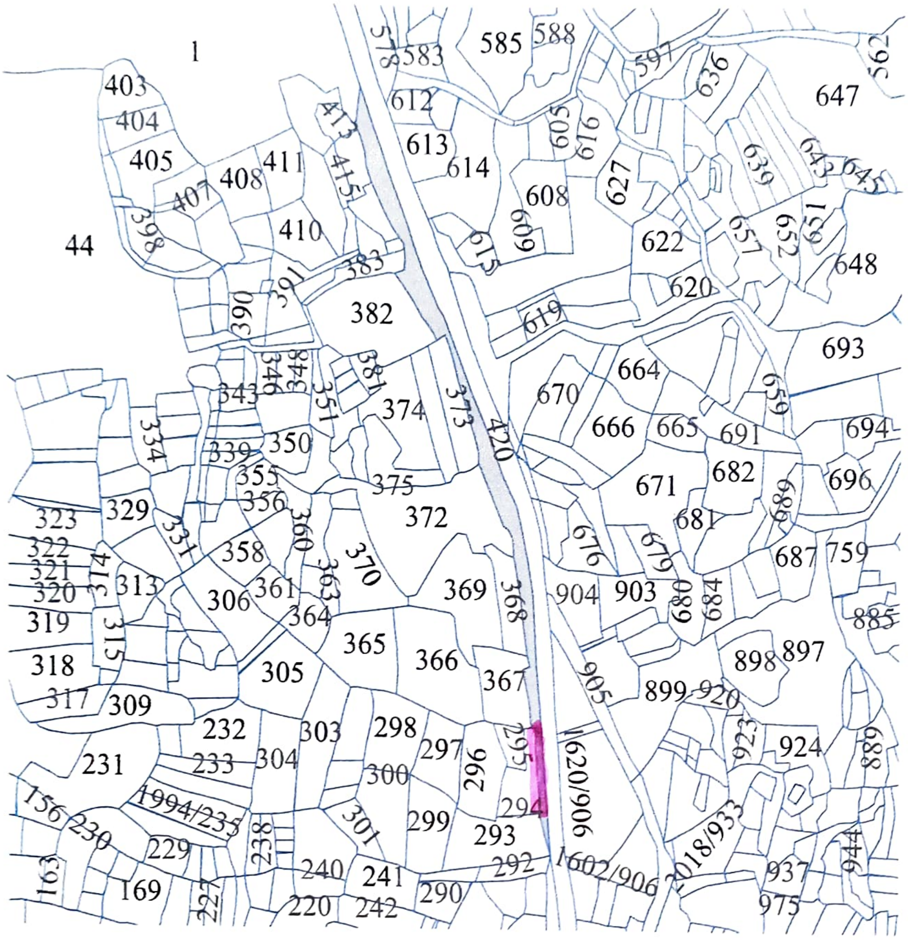

Scale 1:4000

खसरा संख्या :419 क्षेत्रफल : 0.3300 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: सड़क [0.3300]

ULPIN no : null

- बिलानाम सड़क व सद जेताडी भूमि नाले पुलिया (गड्ढा) में भराव भरा

8/2/23

पटवारी
पटवार मण्डल-कैलाशपुरी
तहसील-बड़गाँव, जिला-उदयपुर

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मूणवास
पटवार हल्का :- कैलाशपुरी
भू.अभि.नि. :- सापेटिया
तहसील :- बडगाँव
जिला :- उदयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 104
खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नामः-

1. अभयसिह पुत्र तेजसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
2. किशनसिह पुत्र रुघनाथसिह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
3. गुलाबबाई पत्नि सज्जनसिह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
4. ताराकुंवर पत्नि स्व. शंकरसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपुत सा.देह खातेदार
5. दुलेसिंह पुत्र मोखमसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
6. भगवतसिह पुत्र सज्जनसिह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
7. भुरकुंवर पत्नि दुलेसिंह हिस्सा- 1/20 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
8. भोपालसिंह पुत्र शंकरसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपुत सा.देह खातेदार
9. रणजितसिह पुत्र तेजसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
10. ललीतसिह पुत्र सज्जनसिह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
11. शीलाकुंवर पुत्री शंकरसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपुत सा.देह खातेदार
12. सुरजकुंवर पत्नि तेजसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1203 खलीयानवालीपडत	0.1000	खलीयान	0.1000			स्वीकृत नामांतरकरण : 1085 08/08/2022 बेचान	
1386 वाडो	0.0200	पडत चतुर्थ	0.0200				
1530 भटडाकाडेरा	0.0100	आ.ओड़ी	0.0100				
198 एज़न	0.0500	धोरा	0.0500				
202	0.0700	धोरा	0.0300				
		भु.का.बी	0.0400	0.05			
293	0.1500	आबादी वीरान	0.0600				
		भु.का.खा.ता.द्वि	0.0300	0.64			
		भू.खा.ता.प्र.	0.0600	2.26			
294 वाडो	0.0700	आबादी वीरान	0.0700				
297	0.1000	धोरा	0.0400				
		भू.खा.ता.प्र.	0.0600	2.26			
कुल खसरे - 8	0.5700		0.5700	5.2100			

8/2/23
पटवारी
पटवार हल्का कैलाशपुरी

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 8-Feb-2023

NIC

बिन्दु संख्या 2
सड़क की भूमि व आवेदकों
पर भराव भर समतल क

Google Maps Eklingji Rd

Siyol, Rajasthan
Google Street View
Sep 2022

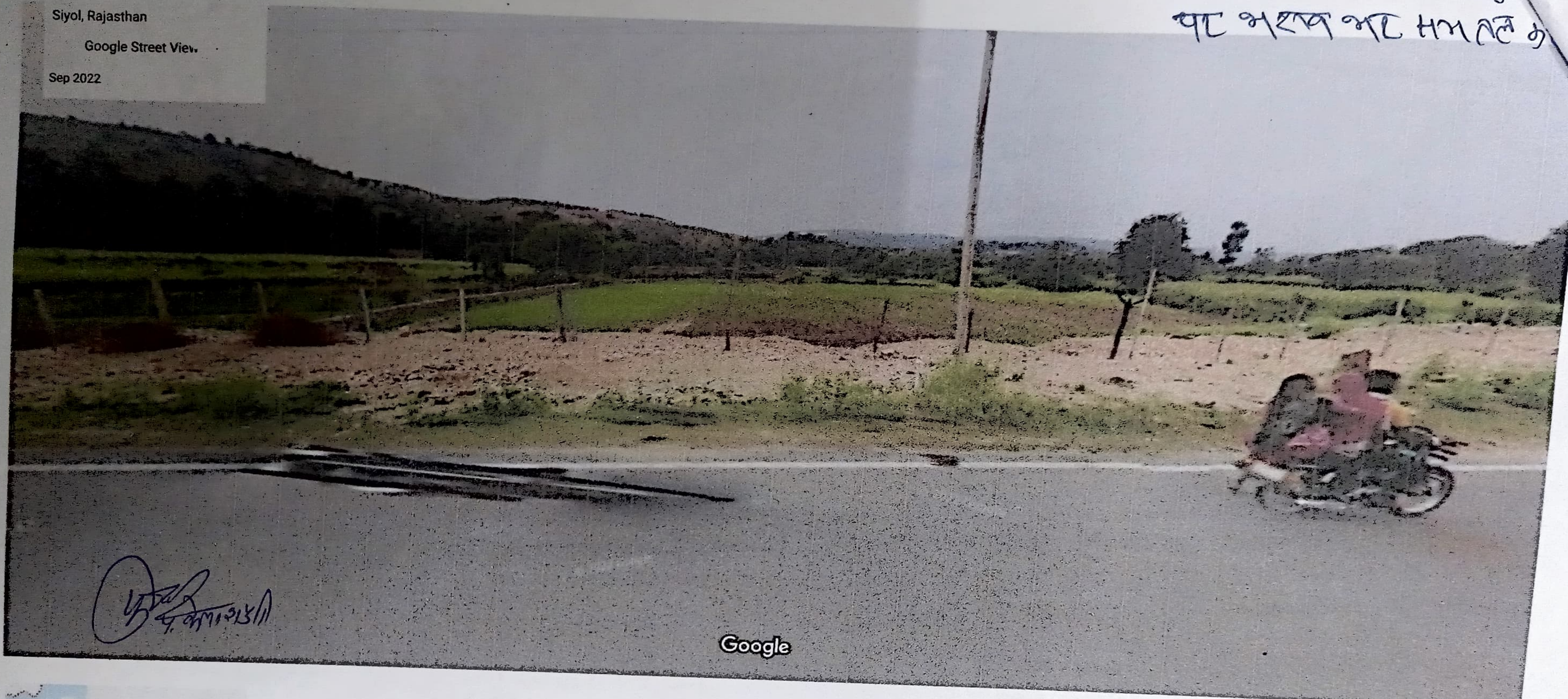

Image capture: Sep 2022 © 2023 Google

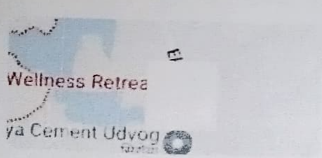

बिन्दु संख्या 2

राजस्थान सरकार | **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/02/2023 08:32:04 AM

जिला : उदयपुर | तहसील : बडगाँव | भू. अ. नि. क्षेत्र : सापेटिया

पटवारी हल्का : कैलाशपुरी | ग्राम : मूणवास

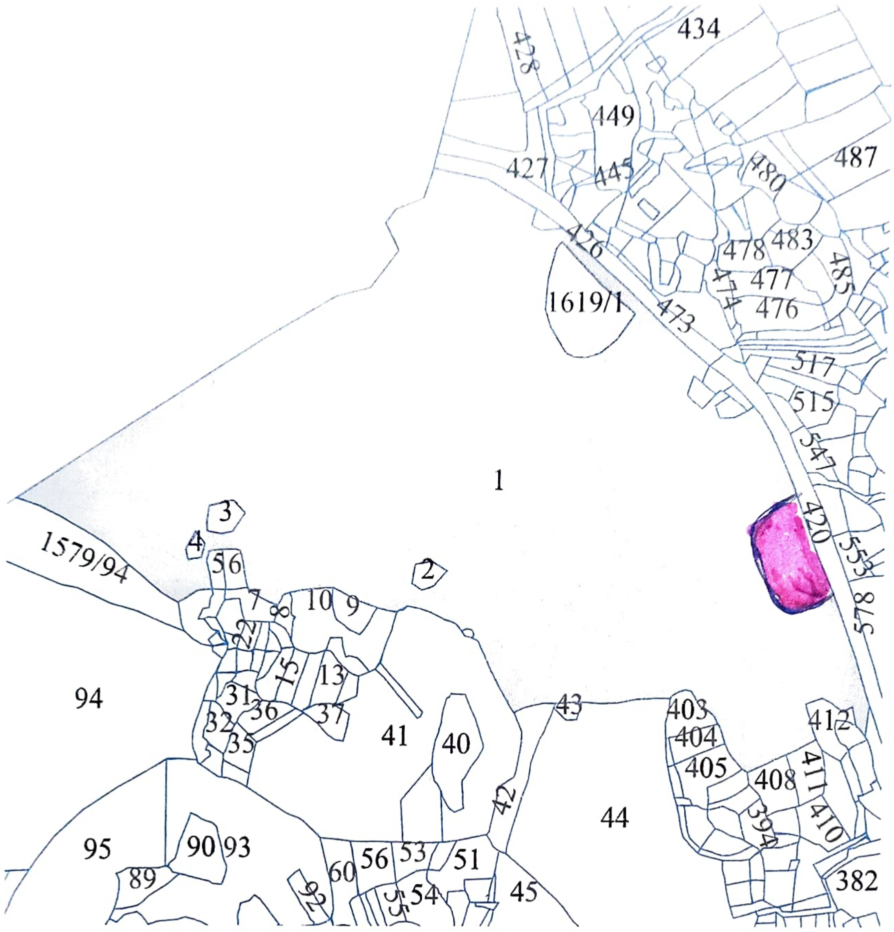

Scale 1:5000

खसरा संख्या :1 क्षेत्रफल : 12.8500 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: धा.पे.गे.मु. [12.8500, 186.07]

ULPIN no : null

ग्राम पंचायत कैलाशपुरी द्वारा अमृत सरोवर योजना में तलाब में सडक तल तक भराव का समतल किया गया व दीवार बनाई गई।
लगभग 10300 वर्गमीटर पर

8/2/23

पटवारी
पटवार हल्का-कैलाशपुरी
तहसील-बडगाँव, जिला-उदयपुर

चित्र संख्या 2
अमृत सरोवर योजना में

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/02/2023 08:36:46 AM

जिला : उदयपुर | तहसील : बडगाँव | भू. अ. नि. क्षेत्र : सापेटिया

पटवारी हल्का : कैलाशपुरी | ग्राम : राया

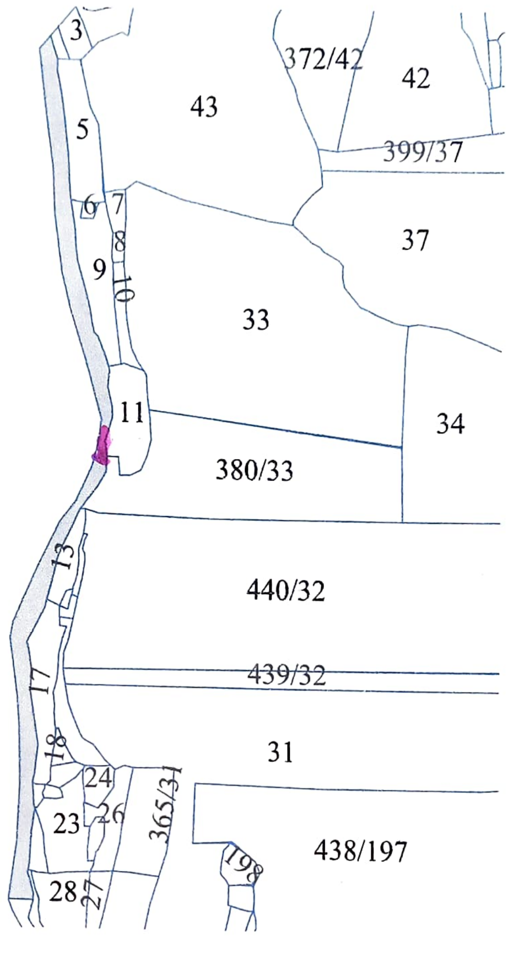

खसरा संख्या :12 क्षेत्रफल : 0.6100 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: नाला [0.6100]

ULPIN no : null

पटवारी

पटवार हल्का कैलाशपुरी तहसील बड़गाँव, जिला-उदयपुर

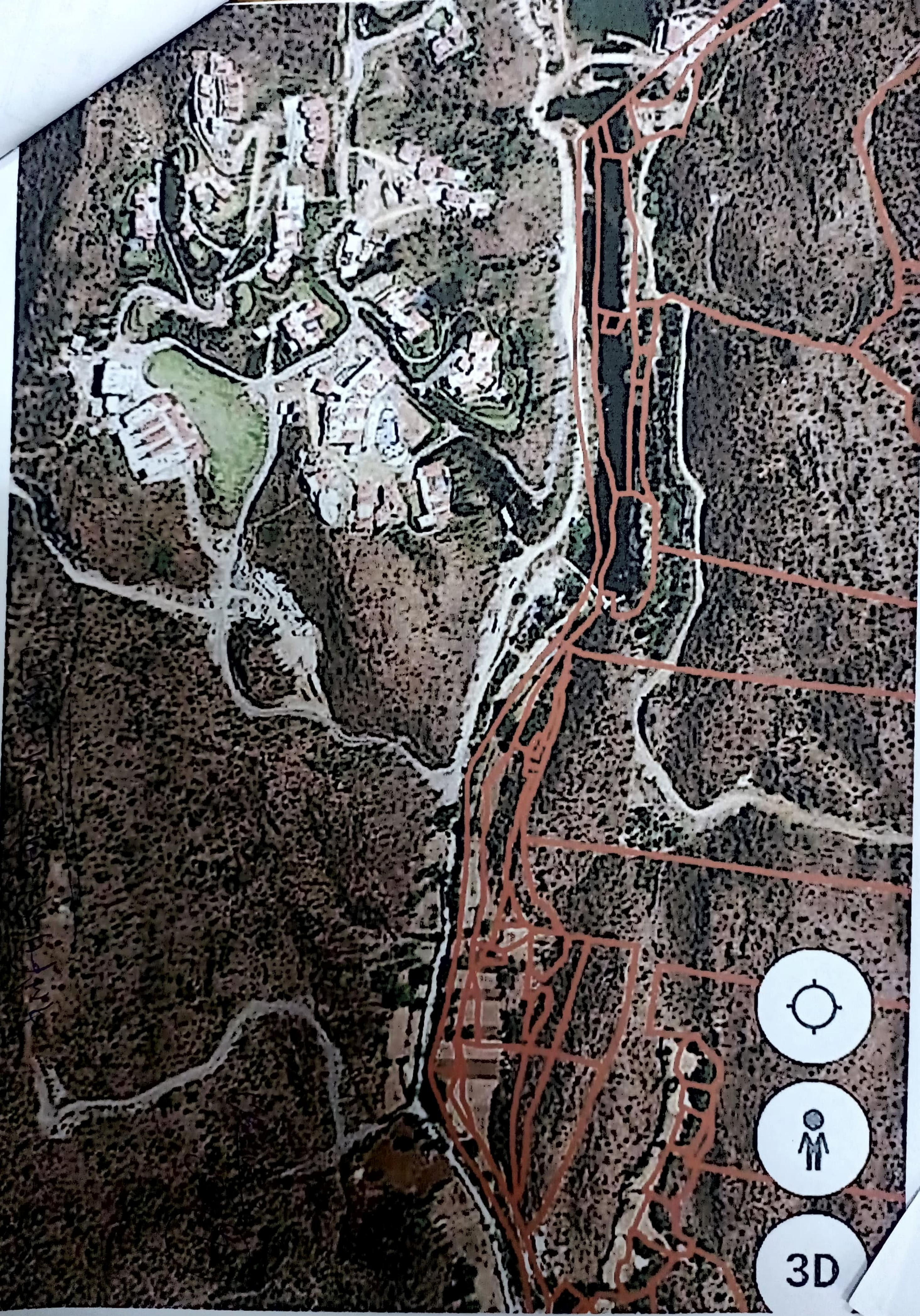
3D

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/02/2023 08:34:04 AM

जिला : उदयपुर

तहसील : बडगाँव

भू. अ. नि. क्षेत्र : सापेटिया

पटवारी हल्का : कैलाशपुरी

ग्राम : मूणवास

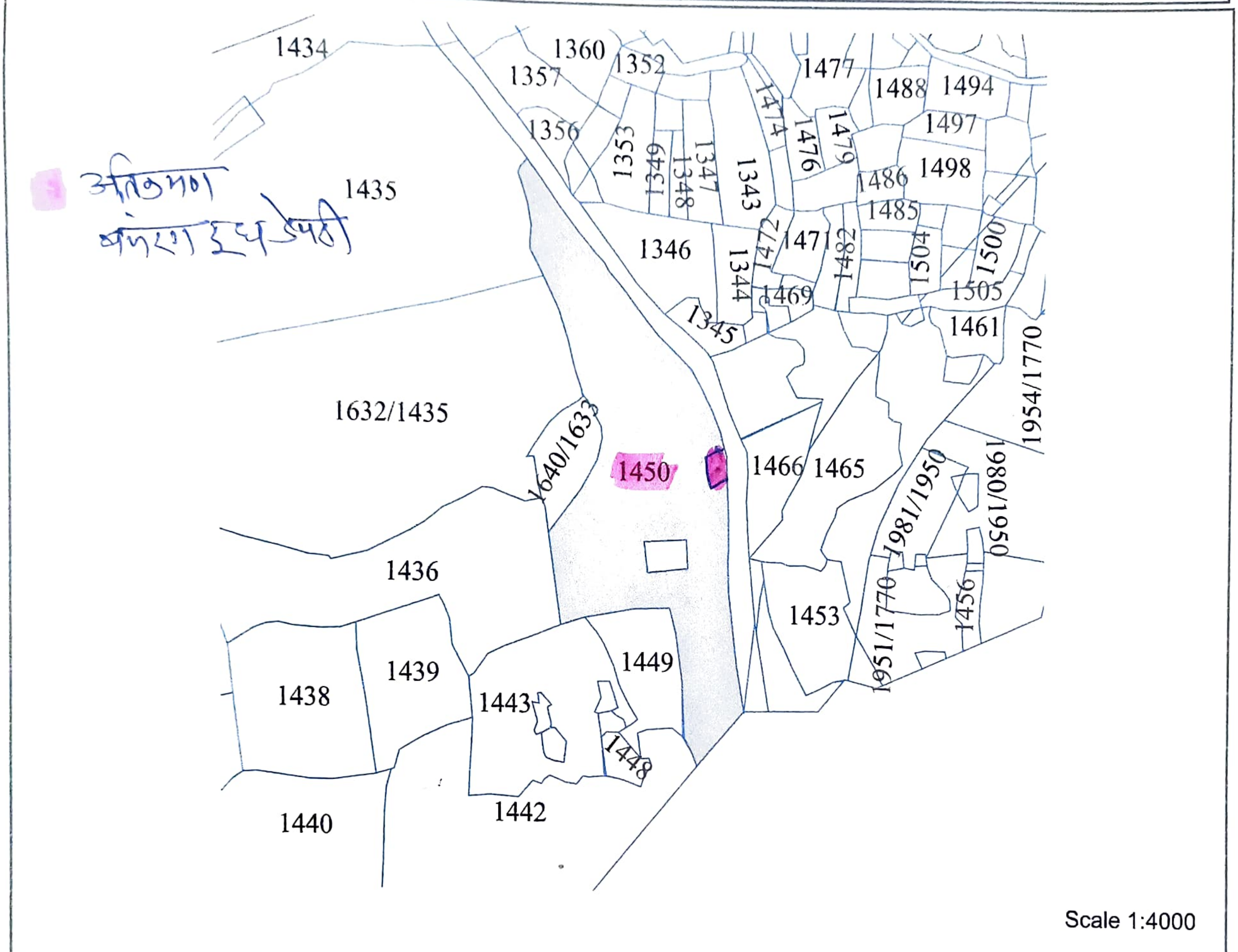

खसरा संख्या :1450 क्षेत्रफल : 2.1100 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: पहाड [2.1100]

ULPIN no : null

पटवार मण्डल-कैलाशपुरी
तहसील-बडगाँव, जिला-उदयपुर

Dropped pin

अमृत सरोवर योजना ग्राम पंचायत

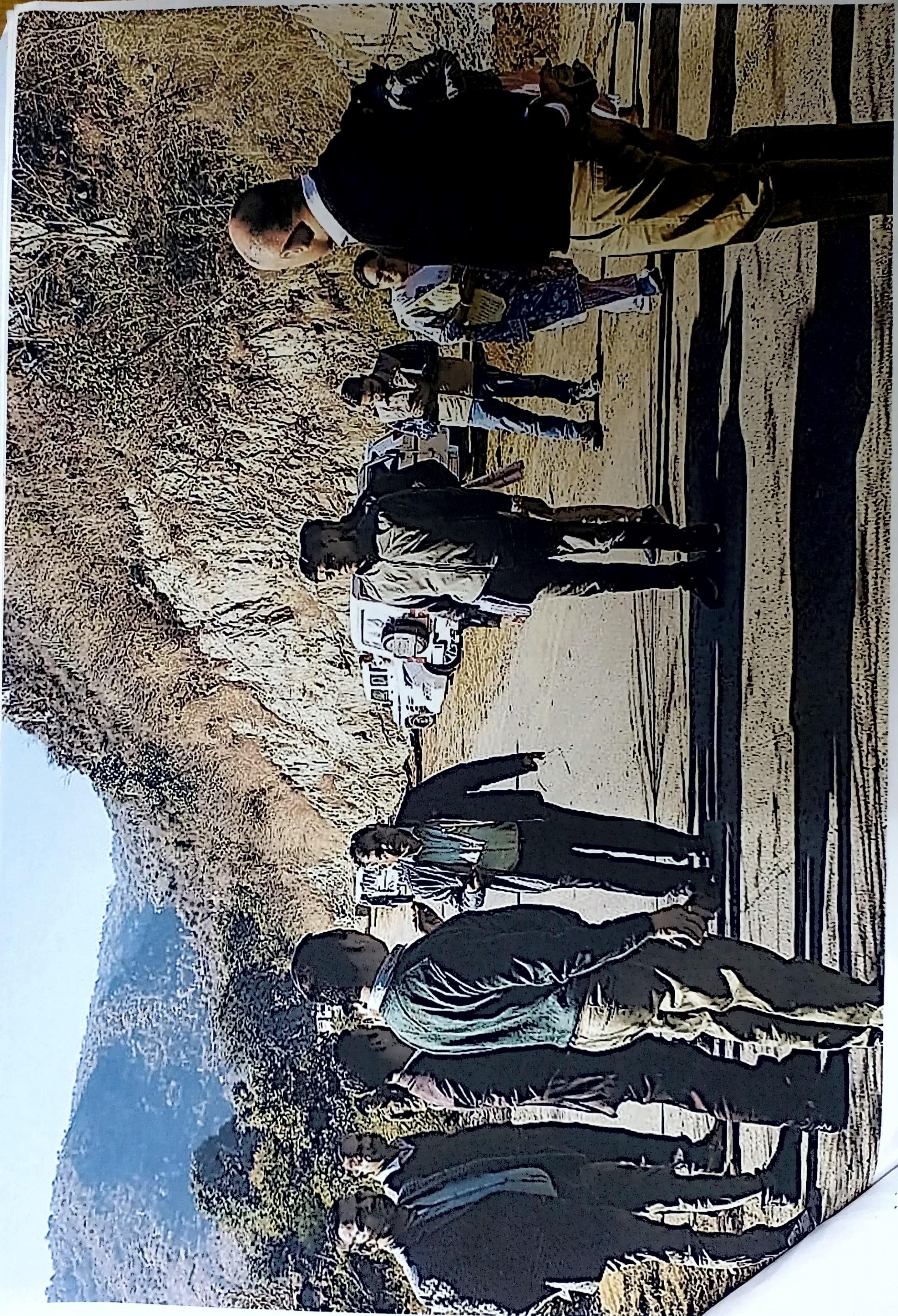

अमृत
सरोवर
कार्य का नाम :- अमृत सरोवर तालाब कार्य, कैलाशपुरी
कार्य कोड :- 2726002014/WC/112908598662
कार्य प्रारम्भ दिनांक :- 1-07-2022
कार्य पूर्णता दिनांक :-
योजना मद राशि :- श्रम 9.15 सामग्री 5.03 योग 14.18
व्यय राशि (रुपये में)
सरोवर का क्षेत्रफल (एकड़ में)
सरोवर की लम्बाई मीटर में :-
कार्यकारी संस्था :- ग्रा. पं. कैलाशपुरी
सम्पर्क व्यक्ती का नाम :-
(स्टेट एण्ड सिटीजन सुपरवाईजर . अमृत सरोवर)